न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 65/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
बिदूराम पुत्र रामकरण जाति जाट		1सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।
निवासी साडोकण तहसील व जिला नागौर।		2. पटवारी हल्का, गगवाना।

उपस्थिति :–

1. श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23.03.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 518/2017 सरकार बनाम बिदूराम में निर्णय दिनांक 05.12.17 के तहत मौजा साडोकण के खसरा नं. 209 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. लाटा भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.01.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 11.01.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.17 पूर्णतया अवैध विधि विरूद्व एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाब व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी गगवाना द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट के संदर्भ में हल्का पटवारी के बयान तक नही लिये। केवल मात्र टीपी रिपोर्ट को ही आधार मानकर बिना किसी प्रकार की जांच किये आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–अपीलांट का मौके पर पीढियों पुराना मकान बना हुआ है। जिसमें अपीलांट मय परिवार पीढियों से निवास करता आया है। किसी प्रकार का नया अतिक्रमण नही है। उक्त रहवासी मकान के अलावा अपीलांट के पास अन्य कोई मकान या जायगा नही है। अपीलांट का अपने पिता के समय से यानि पिछले करीब 50 वर्षो से लगातार कब्जा रहता चला आया है। किन्तु फिर भी हल्का पटवारी ने नया अतिक्रमण बताकर जो रिपोर्ट पेश की है। वह बिल्कुल गलत है एवं उस रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार पर जो आदेश जैर अपील पारित किया है। वह निरस्तनीय है।

{2}(VII)–विवादित जायगा पर अपीलांट का पीढियों पुराना मकान बना हुआ है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर ऐसे सरकुलर जारी किये गये है। जिसके तहत अपीलांट का उक्त मकान नियमन किये जाने योग्य है। क्योंकि उक्त भूमि धारा 16 आरटीएक्ट की परिधि में नही आती। इस कारण अपीलांट का रहवासी मकान को राज्य सरकार के सरकुलर के तहत नियमन किया जाना चाहिये था। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किये प्रथम पेशी पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम साडोकण में स्थित गै.मु. लाटा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके साडोकण के खसरा नंबर 209 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. लाटा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि गैर मुमकिन लाटा किस्म की राजकीय भूमि है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से इस प्रकार की भूमियों का नियमन किया जाना भी प्रतिबंधित है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर